कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम ग्रेटर (मुख्यालय) जयपुर
(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी टोक रोड़, जयपुर।)

क्रमांक : एफ.9( )आ.फा / ज.न.नि. / 23–24 / 1145 दिनांक 06/08/23

प्रबन्धक
श्री चैतन्या टेक्नो स्कूल,
जी.एच. 2 इन्द्रप्रस्थ धावास,
अजमेर रोड़, जयपुर

विषयः– अग्निशमन यंत्र / उपकरण का निरीक्षण एवं अग्निशमन की दृष्टि से अभिषंशा पत्र जारी किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदित स्कूल जी.एच.2 इन्द्रप्रस्थ धावास, अजमेर रोड़, जयपुर में निर्मित श्री चैतन्या टेक्नो स्कूल का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मौका निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान आवेदित स्कूल पर स्थापित किये गये अग्निशमन यंत्र / उपकरण सही व कार्यशील अवस्था में पाये गये भवन परिसर में स्थापित किये गये अग्निशमन यन्त्र / उपकरण व अन्य व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील अवस्था में रखे जाने हेतु मौके पर उपस्थित अधिकारी व कर्मचारीयों को निर्देशित किया गया व फायर के प्रशिक्षित कर्मचारी रखे जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। **भविष्य में आवेदित स्थल पर रूफटोफ रेस्टोरेंट का निर्माण कर उपयोग नही किया जावेगा। अगर अन्य किसी फर्म को बेचान या लीज पर दिये जावे तो उक्त की पालना सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जावे। अन्यथा अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।** वार्षिक नवीनीकरण रिपोर्ट जारी किये जाने के पश्चात यदि किसी भी कार्य दिवस में स्थल का औचक निरीक्षण किया जाता है और अग्निशमन यन्त्र अकार्यशील अवस्था / बन्द पाये जाते हैं तो उक्त लापरवाही की समस्त जिम्मेदारी उक्त फर्म / संस्थान की स्वयं की होगी व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। स्थल पर किसी भी प्रकार का संशोधित निर्माण किये जाने से पूर्व इस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

इस विभाग द्वारा पूर्व जारी किये गए ऑन लाईन फायर एनओसी क्रमांक 1926 दिनांक 07.02.2022 में अंकित शर्ते यथावत रहेगी।

यह अभिषंशा पत्र पूर्व में जारी किये गये अभिशंषा पत्र की तिथि से दिनांक 21.06.2024 तक नवीनीकृत किया जाता हैं।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम,जयपुर